



लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल - 462021
दूरभाष - 0755-2600115



www.shiksha.samagra.gov.in, www.educationportal.mp.gov.in,

क्र./SSSM/ Scholarship/२०१४/३०

भोपाल, दिनांक २९/०१/१४

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले- म.प्र.

समग्र छात्रवृत्ति निर्देश क्र. 8


विषय:- समग्र अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन क्रियान्वयन विषयक ।

विषयान्तर्गत समग्र छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन किये जाकर स्वीकृति का कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य की गति अत्यंत धीमी है चूंकि छात्रवृत्ति की ऑनलाइन वितरण की कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री जी की १०० दिवसीय कार्ययोजना में शामिल है इसलिए समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उक्त कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे

१. प्रति विकासखंड १० व्यक्तियों को आवेदन प्रपत्र की प्रविष्टि हेतु नामांकित किया जाना है जिन्हें कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो।
२. प्रति विकासखंड कम से कम २ ओपरेटर की व्यवस्था (एक माह हेतु) आउटसोर्स के माध्यम से कलेक्टर दर पर भी की जा सकती है ।
३. आउटसोर्स पर व्यय होने वाली राशि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है। राशि का व्यय केवल आवेदन प्रपत्र की ऑनलाइन प्रविष्टि कार्य के लिए ही किया जाये।
४. विधुत / नेटवर्क कनेक्टिविटी जिला/ विकासखंड स्तर पर ठीक रहती है इसलिए जिला/ विकासखंड स्तर पर कार्य कराने को प्राथमिकता दें । इसके लिए बी.ई.ओ/ बी.आर.सी.कार्यालय तथा उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया जा सकता है।
५. विकासखंड शिक्षा अधिकारी को इस कार्य की सम्पूर्ण मॉनिटरिंग करने हेतु अधिकृत किया जाये और कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाये,
६. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतिदिन सायं ५ बजे निम्न प्रारूप पर ई-मेल के माध्यम से प्रगति से अवगत कराएँगे।

क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	ओपरेटर की संख्या	ऑनलाइन प्रविष्टि आवेदनों की संख्या



(एस.के.पाल)
आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

क्र./SSSM/ Scholarship/२०१४/ 31

भोपाल, दिनांक २९/०१/१४

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ ।
- आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- कलेक्टर, / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- जिला परियोजना समन्वयक SSA समस्त जिले, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है की अपने संभाग अंतर्गत प्रतिदिन समीक्षा करें एवं संचालनालय को अवगत करावें।


आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.